कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 12637 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0-44/2013 दिनांकः 26 /12 /2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री बजरंग बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट-मरहठा, जिला-गोरखपुर का मार्ग श्रेणी 'ए' में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-6158एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-218/01 दि0-11.12.2001 द्वारा तथा अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक-6800एम0टी0/ सामान्य वर्ग/54एम0-218/01 दि0-07.1.2011 द्वारा दि0-30.6.2013 तक के लिये किया गया एवं प्रोविजनल नवीनीकरण पत्रांक-8555 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-218/01 दि0-14.8.2013 द्वारा किया गया, जिसकी वैधता दि0-13.11.2013 को समाप्त हो चुकी है।

मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्रांक-252/677कैम्प-परि0/2013 दि0-16.7.2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार उक्त ठेकेदार द्वारा जनपद-गोरखपुर/सिद्धार्थनगर के कतिपय कार्यो में निम्नवत् कार्य अनुबंधों के अन्तर्गत अधोमानक पाये गये:-

1. खैरात चौराहे से ख्वाजा होते हुए कुनवार ग्राम तक निर्मित सम्पर्क मार्ग में पी0सी0 की मोटाई तथा कुल क्रस्ट की मोटाई अलग-अलग चैनेज पर 03-03 गड्ढे काट कर मापी की गयी। वाटर बाउण्ड मेकडम के क्रस्ट की मोटाई चैनेज 0.000-0.700 में औसत क्रस्ट में 26.67 प्रतिशत तथा चैनेज 0.700-1.500 में औसत 10.33 प्रतिशत की कम पायी गयी। इस प्रकार कार्य अधोमानक श्रेणी का किये जाने के कारण कुल रू0 223549.00 की शासकीय हानि हुई। उक्त कार्य अनुबंध सं0-34/अ0आ0/10-11 दि0-28.5.10 रू0 17.48 लाख के अन्तर्गत उक्त ठेकेदार द्वारा किया गया था। इस प्रकार उक्त ठेकेदार, स्वीकृत कार्य मानको के विपरीत किये जाने के दोषी है।
2. घघवा मराठा मार्ग के कि0मी0 5 से बहुआ सम्पर्क मार्ग में पी0सी0 की मोटाई व कुल क्रस्ट की मोटाई अलग-अलग चैनेज पर 03-03 गड्ढे काट कर मापी गयी, जिसमें वाटर बाउण्ड मेकडम के क्रस्ट की औसत मोटाई में 19.74 प्रतिशत कमी पायी गयी। इस प्रकार अधोमानक श्रेणी का कार्य किये जाने से कुल रू0 284498.28 की शासकीय हानि हुई। उक्त कार्य अनुबंध सं0-125/अ0आ0 दि0-22.12.08 रू0 24.82 लाख के अन्तर्गत उक्त ठेकेदार द्वारा किया गया था। इस प्रकार ठेकेदार, स्वीकृत कार्य को मानको के विपरीत किये जाने के दोषी है।
3. बर्डपुर पिपरहवा मार्ग पर एस0डी0बी0सी0 के नवीनीकरण के कार्य में मार्ग किमी0 3, 4 व 5 में कुछ स्थानों पर लेपित सतह में लम्बे-लम्बे क्रैक्स पाये गये। इस प्रकार आप द्वारा अधोमानक श्रेणी का कार्य किये जाने के कारण कुल रू0 43480.58 की शासकीय हानि हुई है। उक्त कार्य हेतु अनुबंध सं0-04/एस0ई0-257सी0-बस्ती वृत्त/2010-11 दि0-05.7.2010 उक्त ठेकेदार के पक्ष में गठित किया गया था। इस प्रकार ठेकेदार, स्वीकृत कार्य मानकों के विपरीत किये जाने के दोषी है।

उपरोक्त अनुबंधों के विरूद्ध उक्त ठेकेदार द्वारा अधोमानक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र दि0-16.7.2013 द्वारा उक्त ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किये जाने हेतु की गयी संस्तुति के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-12009एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0-44/13 दि0-27.11.2013 द्वारा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस देते हुए उत्तर मांगा गया था, जिसपर ठेकेदार के पत्र दि0-11.12.2013 द्वारा कारण बताओं नोटिस का उत्तर देते हुए कार्य मानकों के अनुसार किये जाने तथा उक्त मार्गो की पुनः जाँच कराये जाने से अवगत कराते हुए ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया। ठेकेदार के उपरोक्त पत्र दि0-11.12.2013 द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर इस कार्यालय के

शेष 2......पर

पत्रांक-12557एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-218/01 दि0-19.12.2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर से आख्या/संस्तुति मांगी गयी। उक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता, गोरखपु लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्रांक-17272/विविध गो0क्षे0/2013 दि0-24.12.2013 द्वारा अवगत गया है कि ठेकेदार के उत्तर दि0-11.12.2013 में जो तथ्य वर्णित किये गये है वह निराधार एवं अ है। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त मार्गो पर मानको के विपरीत कार्य किया गया है।

अतः ठेकेदार के पत्र दि0-11.12.2013 द्वारा दिये गये कारण बताओं नोटिस का उत्तर एवं मुख अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि गोरखपुर से प्राप्त उपरोक्त आख्या/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त मार्गो पर अधोमानक कार्य कराये जाने के कारण हुई शासकीय क्षति के लिये ठेकेदार को दोषी मानते हुए श्री बजरंग बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट-मरहठा, जिला-गोरखपुर को ब्लैकलिस्ट (Black List) किया जाता है तथा शासन को हुई क्षति की नियमानुसार वसूली इनसे (उक्त ठेकेदार) किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

ह0/-
(एच0एन0 पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, (ग्रामीण सड़क)(परि0/नियो0) लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के क्रम में।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
5. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 इलाहाबाद।
8. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0वृत्त, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।
11. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अमेठी।
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना विकास संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ।

पंजीकृत 13. श्री बजरंग बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट-मरहठा, जिला-गोरखपुर।

14. प्रतिलिपि पत्रावली सं0-54-218/01 में रखने हेतु।

26/12/13
(संजय)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ